भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3581

बुधवार, 15 जुलाई, 2019 /24 आषाढ़, 1941 (शक)

3581. डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008" के अंतर्गत परिकल्पित योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) किए गए पंजीकरणों का ब्यौरा और संख्या क्या है और अधिनियम के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने लाभार्थी हैं;
(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के लाभार्थी बढ़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार के ध्यान में उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कदाचारों/ अनियमितताओं/ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और इसमें कदाचारों, अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण एवं कृषि मजदूरों सहित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित विषय पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं अशक्तता छत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समान भाग में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं मातृत्व हितलाभ पर आयुष्मान भारत योजना में ध्यान दिया जाता है। मासिक पैंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में न्यूनतम 3000/-रू. की सुनिश्चित पैंशन 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अंसगठित कामगारों को दी जाएगी। निर्धारित मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक असंगठित कामगार दो शर्तों को पूरा करने के लिए पंजीकरण का पात्र होगा; उसकी 14 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए; और उसे इस बात की पुष्टि करते हुए एक स्व घोषणा देनी होगी कि असंगठित कामगार है। प्रत्येक असंगठित कामगार का पंजीकरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारें असंगठित कामगारों को पंजीकरण करने के लिए अधिदेशित है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत परिकल्पित योजनाओं के योजनावार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ): इस तरह के मामले की रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नहीं की जाती है।

*****